# न्यायालय: - पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 1234 / 2015) (संस्थित दिनांक :- 14 / 12 / 15)

म.प्र.राज्य,	
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- एण्डोरी	
जिला–भिण्ड., म.प्र.	

...... अभियोजन।

## // विरूद्ध //

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक :— 21/10/2016 को घोषित)

- 01. आरोपी बादाम सिंह पर धारा -25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :=06/12/2015 को सुबह लगभग 06:50 बजे बाराहेट मानपुर मोड़ पर, सार्वजिनक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना कमांक 6312-6552-1।बी (1) दिनांक :22/11/1974 के उल्लघंन में एक निषेधित आकार की लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।
- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 06/12/2015 को थाना एण्डोरी के थाना प्रभारी बाल्मीकि चौबे रोजनामचा सान्हा क्रमांक 151 में प्रविष्टि कर मय हमराह फोर्स एएसआई एम.एल.डोंगर, आरक्षक योगेन्द्र, आरक्षक मनीष, आरक्षक रविन्द्र, आरक्षक चालक रामनिवास के साथ थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 113/15 में आरोपी बादाम सिंह की तलाश हेत् टीन का पुरा की तरफ रवाना हुये थे। जैसे ही वह लोग बाराहेट मानपुर रोड़ पर पहुँचे तो एक व्यक्ति दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, तब हमराही फोर्स की मदद् से उसे घेरकर पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम बादाम सिंह पुत्र रूप सिंह गुर्जर, निवासी रते का पुरा का होना बताया। आरोपी हाथ में लिये लोहे की छूरी जिसे वह अपने स्वेटर में ढका था, के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो ना होना व्यक्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत दण्ड़नीय होने से साक्षीगण के समक्ष आरोपी से मौके पर छुरी विधिवत् जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय आरोपी एवं जब्तश्रदा माल के थाने वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 144 / 2015 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी आरक्षक क्रमांक 544 योगेन्द्र सिंह, आरक्षक क्रमांक 824 मनीष मांझी एवं प्रदीप सिंह कौरव के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त बादाम सिंह के विरूद्ध धारा 25 ((1–B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
- 01. क्या आरोपी बादाम सिंह ने दिनांक :- 06/12/2015 को सुबह लगभग 06:50 बजे बाराहेट मानपुर मोड़ पर, सार्वजनिक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312—6552— | ।बी (|) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लघंन में एक निषेधित आकार की लोहे का धारदार छुरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा?
  - 02. अंतिम निष्कर्ष ?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

### विचारणीय विन्दु कमांक :- 01

अभियोजन साक्षी बाल्मीकि चौबे अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06/12/2015 को थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह अपराध क्रमांक 113/15 के आरोपी बादाम सिंह की तलाश हेतू टीन का पूरा की तरफ रोजनामचा सान्हा क्रमांक 151 / 15 में रवानगी अंकित कर स्बह 06:05 बजे मय हमराही फोर्स एएसआई एम.एल.डोंगर, आरक्षक योगेन्द्र, रविन्द्र एवं शासकीय वाहन मय चालक रामनिवास के साथ रवाना होकर बाराहेट मालनपुर पर पहुँचा, तभी एक व्यक्ति उन लोगों को देखकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद् से पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम बादाम सिंह पुत्र रूप सिंह गुर्जर, निवासी रते का पुरा का होना बताया, जो हाथ में एक स्योटर लिये हुये था, जिसमें वह एक धारदार लोहे का छुरा छिपाकर रखे हुये था। आरोपी से उक्त छूरा के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो ना होना व्यक्त किया। तभी उसे द्वारा आरोपी के हाथ से साक्षीगण प्रदीप एवं मनीष के समक्ष छ्रा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी को साक्षीगण प्रदीप एवं मनीष के समक्ष गिरफ़तार कर गिरफ़तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाया था, जहाँ उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा पर वापसी इन्द्राज की गई थी तथा उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 144/2015 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी,

जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत छुरा वहीं छुरा है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किया गया था, छुरी आर्टिकल ए—01 है।

प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 05 में बाल्मीकि चौबे अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी बादाम सिंह के विरूद्ध उसके थाने पर धारा 302 भा.द.सं. का झूटा अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें आरोपी घटना दिनांक को थाने पर हाजिर हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसी समय अर्थात् घटना के समय साक्षी द्वारा आरोपी को छुरा रखकर हस्तगत प्रकरण झूठा पंजीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर आरोपी थाना एण्डोरी में पंजीबद्ध थाना 302 भा.द.सं. के किसी अपराध में हाजिर हुआ था। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 05 में बाल्मीकि चौबे अ.सा.02 ने यह व्यक्त किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि आरोपी बादाम सिंह पर स्वयं का लाईसेंसी हथियार है, अथवा नहीं। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि आरोपी बादाम सिंह धारा 302 के अपराध में हाजिर होते समय उसके लाईसेंसी हथियार के साथ हाजिर हुआ था, अथवा नहीं। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके द्वारा आरोपी बादाम सिंह को धारा 302 भा.द.सं. के अपराध में गिरफ्तार कर उसका लाईसेंस एवं शस्त्र जब्त किया गया था। तत्पश्चात साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसने आरोपी को पहले हस्तगत अपराध में गिरफतार किया था, तत्पश्चात धारा 302 भा.द.सं. के अपराध में फॉर्मल गिरफतारी की गई थी।

प्रति–परीक्षण के पद कमांक 06 में बाल्मीकि चौबे अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सझाव से इन्कार किया है कि उसने धारा 302 भा.द.सं. के अपराध के फरियादी पक्ष से मिलकर आरोपी के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण झुठा पंजीबद्ध किया है और इसीलिए उसने प्रकरण में रवानगी रोजनामचा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही रवानगी रोजनामचा का उल्लेख एफआईआर में किया। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 06 में बाल्मीकि चौबे अ.सा. 02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण को गवाह नहीं बनाया और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि साक्षी प्रदीप अ.सा.01 ग्राम रक्षा समिति का सदस्य है, जिससे उसके अच्छे संबंध है। उल्लेखनीय है कि मात्र रवानगी रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तृत ना करने एवं उसका उल्लेख एफआईआर में ना करने से सम्पूर्ण अभियोजन कथा को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। प्रति–परीक्षण उपरांत भी बाल्मीिक चौबे अ.सा.०२ का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में सारतः अखण्डित रहा है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि जब्ती पत्रक प्र.पी.01, गिरफतारी पत्रक प्र.पी.02 एवं उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है। जब्ती पत्रक पर विधिवत् सील नमूना अंकित है, जब्तश्रदा छुरी आर्टिकल ए-01 सीलबंद अवस्था में न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत की गई हैं।

- अभियोजन साक्षी मनीष अ.सा.०३ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 06 / 12 / 2015 को थाना एण्डोरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह थाना प्रभारी बाल्मीक चौबे के साथ अपराध क्रमांक : 113/15 के आरोपी बादाम सिंह की तलाश हेतु ग्राम टीन का पुरा की तरफ दबिश हेतु गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके साथ एएसआई एम.एल.डोंगर, आरक्षक योगेन्द्र, आरक्षक रविन्द्र एवं शासकीय वाहन मय चालक रामनिवास के साथ रवाना होकर बाराहेट मालनपुर रोड़ पर पहुँचा, तभी एक व्यक्ति दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि टी.आई.साहब द्वारा आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम बादाम सिंह पुत्र रूप सिंह गुर्जर, निवासी रते का पुरा का होना बताया, जो हाथ में एक स्योटर लिये हुये था, जिसमें वह एक धारदार लोहे का छूरा छिपाकर रखे हुये था। आरोपी से उक्त छूरा के संबंध में लाईसेंस चाहा, तो ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी के हाथ से उसके एवं प्रदीप के समक्ष छुरा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी को उसके एवं प्रदीप के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 02 में मनीष अ.सा.03 का कहना है कि उसने ६ ाटनास्थल पर दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे, उसने पहले जब्ती पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी उन लोगों को बाराहेट मानपुर मोड पर मिला था। प्रति-परीक्षण के पद कमांक 03 में मनीष अ.सा.03 का कहना है कि वह लोग थाने से स्बह 06 बजे निकले थे, जिसका इन्द्राज उसके द्वारा रोजनामचे में नहीं किया गया। स्वतः कहा है कि साहब ने किया होगा। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब्ती एवं गिरफ्तारी की लिखा-पढ़ी दरोगा ने थाने पर बैठकर की थी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी बादाम सिंह के विरूद्ध धारा 302 भा.द.सं. का प्रकरण पंजीबद्ध है। परन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी 302 भा.द.सं. के अपराध में थाने पर हाजिर हुआ था और उसके विरूद्ध फरियादी से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी से कोई छूरा जब्त नहीं हुआ। इस प्रकार प्रति–परीक्षण उपरांत भी मनीष अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में सारतः अखण्डित रहा है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफतारी पत्रक प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है। मनीष अ.सा.०३ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से बाल्मीकि चौबे अ.सा.०२ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि हो रही है।
- 12. अभियोजन साक्षी प्रदीप कौरव अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी बादाम सिंह को घटना दिनांक से जानता है। साक्षी आगे कहता है कि घटना वर्ष 2015 के गर्मियों के सीजन की थी। वह मानपुर गांव से रिश्तेदारी से आ रहा था, दरोगा जी मालनपुर मोड़ पर चैकिंग कर रहे थे। दरोगा जी

बाल्मीकि चौबे जी ने उससे कहा कि इन कागज पर साईन कर दो, तो उसने कागज पर साईन कर दिये थे। साक्षी आगे कहता है कि दरोगा जी ने उससे कहा था कि उन्होंने आरोपी को मय छूरी के पकड़ा है, तो उसने जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर साईन कर दिये थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि इसके अलावा उसके अन्य कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, उससे केवल साईन करा लिये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके सामने आरोपी से छुरी नहीं पकड़ी थी, जब वह पहुँचा था, तब पहले से ही छुरी दरोगा जी के पास थी। गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 के ए से ए भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर है।

- अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में प्रदीप अ.सा.01 का कहना है कि वह यह नहीं बता सकता कि घटना के समय सर्दियाँ का मौसम था, अथवा नहीं और स्वतः कहा है कि हो भी सकता है कि सर्दियों का मौसम हो। साक्षी आगे कहता है कि उसे यह याद नहीं है कि घटना दिनांक : 06 / 12 / 2015 की है। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह घटना पर पहुँचा तो आरोपी बादाम सिंह हाथ में छूरी लिये हुये था और उसके सामने आरोपी से छुरी जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया था। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भी साक्षी प्रदीप अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि जब वह ध ाटनास्थल पर पहुँचा, तब आरोपी बादाम सिंह हाथ में छूरी लेकर खड़ा था और पुलिस वाले उसके आस-पास खडे थे, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि उक्त लोग कितनी देर से घटनास्थल पर खडे थे। साक्षी आगे कहता है कि जब वह घटनास्थल से खाना हुआ तब छुरी दरोगा जी ने अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन उसके सामने सीलबंद नहीं की थी। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 03 में प्रदीप अ.सा.01 का यह भी कहना है कि आरोपी से जब्तशुदा छूरी लगभग एक—डेढ़ फूट लम्बी थी, जिसमें लगभग छः इंच लकड़ी का बेट लगा हुआ था, जिसके फल की चौड़ाई लगभग तीन अंगुल थी और उक्त जब्तशुदा छूरी नोंक पर पैनी एवं नुकीली थी। उल्लेखनीय है कि जब्ती पत्रक प्र. पी.01 में जब्तशुदा छुरी की लम्बाई 12 इंच अर्थात् एक फुट दर्शित की गई है। इस प्रकार प्रति–परीक्षण उपरांत भी प्रदीप कौरव अ.सा.०1 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में सारतः अखण्डित रहा है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रदीप कौरव अ.सा.०१ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से बाल्मीकि चौबे अ.सा.०२ एवं मनीष अ.सा.०३ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पृष्टि हो रही है।
- 14. अभियोजन साक्षी साहब सिंह अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 09/12/2015 को थाना एण्डोरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 144/2015 अन्तर्गत धारा 25 बी आर्म्स एक्ट की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरक्षक योगेन्द्र सिंह, मनीष मांझी एवं प्रदीप कौरव के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे, जिसमें उसने अपनी ओर से कुछ घटाया—बढाया नहीं था। प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साहब सिंह अ.सा.04 ने

आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि साक्षी योगेन्द्र का कथन उसकी हस्तिलिप में नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी धारा 302 भा.द.सं के आरोप में हाजिर हुआ था और उसके द्वारा थाना प्रभारी के कहने पर आरोपी के विरूद्ध हस्तगत अपराध की असत्य विवेचना की गई है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार साहब सिंह अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति—परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखिण्ड़त रहा है और उसके द्वारा की गई विवेचना से भी अभियोजन कथा की सारतः पुष्टि होती है।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी बादाम सिंह ने दिनांक :— 06/12/2015 को सुबह लगभग 06:50 बजे बाराहेट मानपुर मोड़ पर, सार्वजनिक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312—6552—।।बी (।) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार की लोहे का धारदार छूरा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

## अंतिम निष्कर्ष

- 16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी बादाम के विरूद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी बादाम को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।
- 17. आरोपी बादाम को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में अवैध धारदार आयुध लेकर घूमने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
- 18. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

#### पुनश्च:-

19. आरोपी बादाम के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक पचौरी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता श्री पचौरी का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा—लिखा गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। वह अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। आरोपी अधिवक्ता के तर्क सदभाविक प्रतीत न होने के कारण अस्वीकार किये गये एवं आरोपी बादामा सिंह को धारा ((1—B)(b)) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी बादाम द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में उसे 05 दिन का सश्रम कारावास, मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक भुगताये जाये।

- आरोपी बादाम सिंह को सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भ्गतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।
- आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्ड़ादेश की अवधि में से कम की जावे।
- प्रकरण में आरोपी बादाम सिंह से जब्तशुदा लोहे की छुरा मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)